

37/2016


नगरपालिका किशनगढ़ /

73 म्यू. एक्ट

पदम लखानी एड.

1. श्री सुरेन्द्र सेठी एड.
2. श्री इन्देश कुमार एड.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.08.2016	<p>उभयपक्ष के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया, जिसे शा0 मि0 किया जाकर प्रार्थना पर उन्हें सुना गया। उन्होंने कथन किया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 के तहत धारा 73 के अधीन प्रकरणों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को प्रदत्त किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु माननीय संभागीय आयुक्त अजमेर को भिजवाने के आदेश प्रदान करावें।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक: 8(ग)0नियम/ डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 का अवलोकन किया। उक्त अधिसूचना द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को प्राधिकृत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p>	


 (किशोर कुमार)
 अपर कलक्टर
 अजमेर